

Main Attachment -1.1

परियोजना का नाम :- जनपद नैनीताल के अन्तर्गत खुटानी-भवाली-धानाचूली-ओखलकाण्डा-खन्स्यू -
पतलोट मोटर मार्ग के किमी 85 में खन्स्यू रा0मा0 सं0 64 में 42 मी0 स्पान
"क्लाश-ए" (स्टील गर्डर) का प्रस्तावित सेतु के निर्माण हेतु।

प्रारूप-1

Authority Letter

पत्रांक :- 1975

दि० 03/05/2018

उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट (आर0एण्ड0बी0) के अन्तर्गत स्वीकृत क्षतिग्रस्त सेतुओं के पुनर्निर्माण एवं क्रोनिक स्लिप जोन के सुरक्षात्मक कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण संबंधित कार्यवाही राज्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से किये जाने के लिए प्रभारी सचिव, लोक निर्माण अनुभाग-03 उत्तराखण्ड शासन देहरादून ने पत्रांक 248/111(3)/17-01(यू0पी0आर0पी0)2015 दिनांक 11.04.2017 द्वारा निर्देशित किया गया है। (सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न) जिसके तहत अधिशासी अभियन्ता वर्ल्ड बैंक, खण्ड लोक निर्माण विभाग नैनीताल के स्थान पर उक्त परियोजन आपके खण्ड कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत है, इसलिए आपश्री आनन्द बल्लभ काण्डपाल, अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग भवाली को वन भूमि हस्तान्तरण आन लाईन अपलोड प्रयोक्ता एजेन्सी के रूप में संबंधित कार्यवाही किये जाने हेतु नामित किया जाता है।

1975
3-5-18

(इं0डी0एस0नबिथाल)
अधीक्षण अभियन्ता,
विशेष वृत्त, ला0नि0वि0
नैनीताल।

संख्या- / 111(3)/17-01(यूडीओआरपीओ)2015

प्रेषक,
अरविन्द सिंह हयांकी,
प्रमारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,।

सेवामें,
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

देहरादून दिनांक 11 अप्रैल, 2017

लोक निर्माण अनुभाग-03

विषय :- उत्तराखण्ड डिजास्टर रिकवरी प्रोजेक्ट (आर. एण्ड बी.) के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में क्षतिग्रस्त सेतुओं के पुनर्निर्माण एवं क्रोनिक स्लिप जोन के सुरक्षात्मक कार्यों हेतु भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किये जाने विषयक।

महोदय, उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, पीओआईयू (रोड एण्ड ब्रिज) यूडीओआरपीओ, देहरादून के प्रस्ताव/पत्रांक 518/BR/2017 दिनांक 05.4.2017 (संलग्न प्रति) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें। दिनांक 30.3.2017 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में हुई सच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचओपीसी) की बैठक में हुए निर्णय के क्रम में कुल 25 मोटर सेतुओं एवं 10 क्रोनिक स्लिप जोन के सुरक्षात्मक कार्यों (संलग्न सूची) हेतु राज्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से, समवर्द्ध रूप से भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव गठित कर सभी सम्बन्धित पक्षों/विभागों से अनापत्ति/सहमति प्राप्त करते हुए समयान्तर्गत भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित मुख्य अभियन्ताओं को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है।

2- विभागीय प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचओपीसी) की बैठक में यूडीओआरपीओ से सम्बन्धित बिन्दुओं पर लिये गये निर्णय के अनुसार, संलग्नक में अंकित 25 मोटर सेतुओं एवं 10 क्रोनिक स्लिप जोन के सुरक्षात्मक कार्यों हेतु भूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग के माध्यम से गठित कर सभी सम्बन्धित पक्षों/विभागों से अनापत्ति/सहमति प्राप्त करते हुए समयान्तर्गत (30.4.2017 तक) भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न- (i) कुल 25 मोटर सेतुओं की सूची।
(ii) कुल 10 क्रोनिक स्लिप जोन की सूची।

गवदीय,

(अरविन्द सिंह हयांकी)
प्रमारी सचिव।

संख्या-248/111(3)/17 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. कार्यक्रम प्रबन्धक, पीओआईयू (रोड एण्ड ब्रिज), यूडीओआरपीओ, देहरादून।
2. सम्बन्धित जिलाधिकारी, टिहरी / उत्तरकाशी / पौड़ी गढ़वाल / रुद्रप्रयाग / चमोली एवं पिथौरागढ़।
3. मुख्य वन संरक्षक, वन भूमि हस्तान्तरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी गढ़वाल/टिहरी/पिथौरागढ़।
5. मुख्य अभियन्ता, विश्व बैंक, पी.आई.यू. (रोड एण्ड ब्रिज) यू.डी.आर.पी., देहरादून।

सहायक अभियन्ता
विश्व बैंक खण्ड
लो0नि0वि0, नैनीताल

आज्ञा से,
(प्रदीप मोहन नौटियाल)
अनु सचिव।